

11/12/2023

अपीलार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2013 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है व कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है, अपीलार्थी द्वारा कब्जा सौंप दिया गया है। इस कारण अपीलार्थी उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है। अतः उक्त प्रकरण आज पेशी में लिया जाकर इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त करते हुए प्रकरण को दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश पारित किया जावे। अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट द्वारा भी No Objection पेश किया गया।

फलस्वरूप अपीलार्थी एवं रेस्पोजेन्टस का आपस में राजीनामा हो जाने एवं अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट द्वारा No Objection पेश करने पर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति तहसीलदार सादुलशहर को भेजी जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Y. G. G. G.
11.12.23